बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक–13.03.2026

संचिका संख्या–03/आ01–116/2023..I/379299/ क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक–630 दिनांक 23.03.2023 द्वारा श्री कपिलदेव तिवारी, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित किए गए थे जिसपर विहित प्रक्रिया एवं सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी–

1. दिनांक 17.04.23 को दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित खबर "नियोजन न योगदान–कर दिया गया वेतन भुगतान" पर जाँच की कोई कार्रवाई नहीं करना।

2. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 314 दिनांक 31.03.2023 पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराना।

3. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 393 दिनांक 20.04.2023 पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराना।

4. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 544 दिनांक 02.06.2023 का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराना।

5. विभागीय नियमों के विपरीत स्वैच्छिक तरीके से माह जून के इतर सहायक शिक्षकों का स्थानान्तरण करना।

6. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 395 दिनांक 20.04.2023 का अनुपालन नहीं कराना।

7. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई ने अपने पत्रांक 197, दिनांक 15.05.23 द्वारा गलत प्रतिवेदन उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित करना।

8. बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 की कंडिका 3.1–(I) (II) (III) का उल्लंघन करना।

2.. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में यह मंतव्य दिया गया है कि "नियोजन न योगदान–कर दिया गया वेतन भुगतान" से संबंधित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर में कई ऐसे तथ्य उजागर किये गये हैं जो काफी संगीन है। इसमें उन शिक्षकों का नाम अंकित है जो विद्यालय में कार्यरत नहीं है, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया उनके वेतन भुगतान किये जाने का उल्लेख है। ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले को भी वेतन भुगतान करने का उल्लेख है। ऐसे संगीन मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करना अनियमितता में संलिप्तता को परिलक्षित करता है। उक्त संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक–465 दिनांक 24.04.2023 द्वारा जाँच के बदले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई को पत्र प्रेषित कर सिर्फ खानापूर्ति की कार्रवाई की गयी। शिक्षक समन्वय मोर्चा के प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों के कृत्य के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कर अनावश्यक रूप से उनके द्वारा विभागीय नियमों के विपरीत स्वेच्छाचारितापूर्ण रवैये को बढ़ावा देने एवं उच्चाधिकारी के निदेश की अवहेलना किया जाना प्रमाणित होता है। संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य के साथ उपलब्ध कराने के निदेश की अवहेलना का आरोप भी प्रमाणित होता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई कार्यालय, स्थापना शाखा, योजना एवं लेखा शाखा, माध्यमिक एवं साक्षरता एवं पी.एम. पोषण योजना, शाखा से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन पर अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा जाना भी अनुशासनहीनता का द्योतक है। माह जून से इतर करीब 15 सहायक शिक्षकों का स्थानान्तरण उच्चाधिकारी की सहमति लिये बिना करने का आरोप भी सही पाया गया है जो विभागीय अधिसूचना संख्या–441 दिनांक 31.03.2018 कंडिका–05 का

उपनियम–ग में निहित प्रावधान का घोर उल्लंघन है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण करने के संबंध में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक–324 दिनांक 26.01.2020 निर्गत है, किन्तु जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई द्वारा उक्त विभागीय नियमों को दरकिनार कर विभिन्न पत्र द्वारा अनियमित स्थानान्तरण करना उनके स्वेच्छापूर्ण, मनमानेपन रवैये को प्रदर्शित करता है। जमुई जिला अन्तर्गत खैरा प्रखण्ड के प्रखण्ड साधन सेवी के स्वेच्छाचारितापूर्ण रवैये को बढ़ावा देने में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। श्री लक्ष्मी प्रसाद मोदी, तत्कालीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आदर्श म०वि० चकाई, जमुई द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता में तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई की संलिप्तता के संबंध में गलत प्रतिवेदन देने का आरोप भी सही पाया गया है। जांच पदाधिकारी द्वारा निष्कर्षतः जांच के क्रम में सभी आरोप प्रमाणित पाये गए।

3. उक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–177777 दिनांक 05.12.2024 द्वारा श्री कपिलदेव तिवारी से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी।

4. श्री कपिलदेव तिवारी द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रकाशित खबर "नियोजन न योगदान, कर दिया गया वेतन भुगतान" के मामले में इस कार्यालय के पत्रांक–12/ले0 दिनांक 18.04.2024 के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया तथा श्री शिव कुमार शर्मा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस संबंध में शिक्षकों के वेतन आदि, अन्तर वेतन आदि बकाया आदि भुगतान हेतु प्राप्त आवंटन से भुगतान पूर्व अधोहस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापांक–652 दिनांक–06.05. 2022 द्वारा तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई को निदेशित किया गया था कि किसी भी प्रकार के वेतन आदि बकाया वेतन आदि का भुगतान से पूर्व संचिका पर सहमति प्राप्त कर लिया जाए अन्यथा की सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, परन्तु तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई द्वारा अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक–746 दिनांक 11.07.2022, जिसमें बकाया वेतन आदि के भुगतान हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को नोडल पदाधिकारी घोषित हैं के आलोक में भुगतान किया गया परंतु उनसे संचिका पर सहमति नहीं दी गयी है। तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा तथ्यों के बिना जाँच किये ही केवल समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर मेरे विरूद्ध विद्वेष की भावना से आरोप लगाया गया है जो निराधार है। शिक्षक समन्वय मोर्चा के प्रदर्शन में संलिप्त शिक्षकों को चिन्हित करने की कार्रवाई भी की गई। शिक्षकों के स्थानान्तरण किये जाने हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से अनुमोदन की अपेक्षा की गई थी, परन्तु आदेश/निदेश प्राप्त नहीं होने तथा शिक्षकों की समस्याओं एवं विद्यालय संचालन को देखते हुए तात्कालिक व्यवस्था के तहत प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थापना समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में स्थानान्तरण की कार्रवाई की गई, आदि।

5. सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई समीक्षा में यह ज्ञात होता है कि माह जून से इतर माह में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बिना शिक्षकों का स्थानांतरण करने के आरोप को छोड़कर शेष सभी आरोप प्रत्यक्षतः इनके विरूद्ध नहीं हैं। बिना नियोजन एवं बिना योगदान के शिक्षकों का भुगतान किए जाने का मामला प्रत्यक्ष रूप से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना से संबंधित ज्ञात होता है जिसपर प्राथमिकी दर्ज किए जाने का तथ्य भी प्राप्त हुआ है, फिर भी इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जितनी तत्परता और सक्रियता प्रदर्शित कर इस अनियमितता पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उसमें अभाव और निष्क्रियता परिलक्षित हुई है जिससे इनकी संलिप्तता ज्ञात होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है। अनुशासनहीनता के तथ्य भी प्रतिवेदित किए गए हैं।

6. श्री कपिलदेव तिवारी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अंतर्गत " पेंशन से 05 वर्षों के लिए 05 प्रतिशत की राशि की कटौती " की शास्ति अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

7. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4905 दिनांक 09.03.2026 द्वारा श्री कपिलदेव तिवारी, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर सहमति प्रदान की गई है।

8. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कपिलदेव तिवारी, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

" पेंशन से 05 वर्षों के लिए 05 प्रतिशत की राशि की कटौती "।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह./–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/ आ01–116/2023 i/379299/ पटना, दिनांकः–13.03.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार एवं श्री कपिलदेव तिवारी, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत पता– मुहल्ला–अगरवा, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पिन–845401 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 13-03-2026 13:35:14